31.10.25 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रा. पत्र 02284 पेश हुई। प्रा. पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इस आशय की सूचना देने पर की अप्रार्थी सं. 2 अनिल जैन हो गया है उसके कायम मुकाम की कार्यवाही की जावे। उक्त सूचना पश्चात वादी अधिवक्ता द्वारा प्रा. पत्र कायम मुकाम [illegible] संशोधित शीर्षक दिनांक 30.10 [illegible] पेश किया। उक्त प्रा. पत्र की प्रति प्रतिवादी अधिवक्ता को दी जाकर जवाब तलब हेतु कहा गया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाब पेश न कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:48:38 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	सीधी बहस की। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया की मृतक प्रतिवादी सं. 2 का कायम मुकाम प्रा. पत्र पेश है जिसे रिकॉर्ड पर लिया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस के दौरान आपत्ति जताते हुए निवेदन किया की उक्त वाद में वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक नियमों की अनदेखी की गई है। सर्वप्रथम तो वादी अधि. को अप्रार्थी के फौत होने की जानकारी भी नहीं थी। मेरे द्वारा फौती सूचना देने के उपरांत पेश प्रा. पत्र में भी मृतक प्रतिवादी का कोई मृत्यु दिनांक अंकित नहीं किया गया है। साथ ही कोई मृत्यु प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया है। इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कायम मुकाम प्रा. पत्र तय समयावधि में पेश किया गया है या नहीं। इससे यह साबित होता है कि वादी व वादी अधि. अपने वाद को लेकर सीरियस नहीं है व अनावश्यक रूप से न्यायालय का समय जाया कर रहे हैं व साफ तौर पर न्यायिक नियमों की अनदेखी भी कर रहे हैं। प्रा. पत्र के साथ डिले कंडोन का प्रा. पत्र भी पेश नहीं किया गया है। उपर्युक्त विवेचन [illegible] पर प्रा. पत्र कायम मुकाम [illegible] है इस कारण अंतर्गत [illegible] तहत प्रा. पत्र खारिज किया जाता है तथा पत्रावली इसी स्तर पर खारिज कर दाखिल दफ्तर की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.04.22 14:48:38
Reason: SelfAttested